


GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 15] दिल्ली, नवम्बर 27—दिसम्बर 3, 2015, बृहस्पतिवार/अग्रहायण 6—अग्रहायण 12, 1937 [रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 155  
No. 15] DELHI, NOVEMBER 27—DECEMBER 3, 2015, THURSDAY/AGRAHAYANA 6—AGRAHAYANA 12, 1937 [N.C.T.D. No. 155

भाग II—I

PART II—I

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन

Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters, reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2015

फा.सं.मु.चु.अ./चु.सं./102(2)/2014/भाग-II/खण्ड फा./54411.— निम्नलिखित को सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :

भारत निर्वाचन आयोग

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2015

सं.56/2015/रा. दल अनु.-II.— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखण्ड (iii), तारीख 13.01.2015 में प्रकाशित, हिन्दी अधिसूचना संख्या 56/2015 रा.दल.अनु-II दिनांक 13.01.2015 में -

1. हिन्दी अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 3 में अंकित सारणी के स्तम्भ 3 के अन्तर्गत क्रम सं. 4 (1) में 'बिहार राज्य' की 'जनता दल (यूनायटेड)' के रूप में विद्यमान प्रविष्टि को 'जनता दल (यूनाइटेड)' पढ़ा जाए।

आदेश से,  
वरिन्डर कुमार, सचिव

आदेश से,  
चन्द्र भूषण कुमार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली